न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 62/2020

1. हाजर खाँ
2. नाजर खाँ पिसरान हसना उर्फ हसन खाँ जाति मेव निवासी ग्राम कैथवाडा तहसील पहाडी

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमान् तहसीलदार साहब, तहसील पहाडी (भरतपुर)
2. आमीन
3. आसू
4. आसीन
5. ताहिर
6. सरफू पिसरान बुद्धी
7. चाहतवी पत्नि बुद्धी जाति मेव निवासी कैथवाडा तहसील पहाडी

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111, 136 एल0आर0 एक्ट

1. श्री मौहम्मद खां वकील प्रार्थीगण
2. श्री प्रमोद शर्मा वकील अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 7

दिनांक :–09/07/2021

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111,136 एल0आर0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि पूर्व में आराजी खसरा नम्बर 2540 के प्रार्थीगण हाजर खाँ 0.43 हैक्टर व प्रार्थी नाजर खाँ 0.43 हैक्टर के खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 7 खसरा नम्बर 2540 मिन 0.78 हैक्टर बांके ग्राम कैथवाडा के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर मद संख्या 1 प्रार्थना पत्र के नये नम्बर क्रमशः 2540 मिन के 3350/0.43, 3350/4265/0.43, 3351/0.78 हैक्टर बांके ग्राम कैथवाडा बना दिये गये। परन्तु अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 7 के नये खसरा नम्बर 3351/0.78 को नक्शे में सडक के

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

पास दर्ज कर दिया गया है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा पुराने नम्बर 2540 मिन के नये नम्बरान बनाते हुए जो नजरी नक्शा जो नये खसरा नम्बरान का बनाया गया है। वह नक्शा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 7 के मौका व कब्जा के विपरीत बनाया गया है। जो कि कतई गलत व खिलाफ कानून व मौका व कब्जा है। जिसमें प्रार्थीगण को सख्त हक तलफी हो रही है। विधि वजह प्रार्थीगण दावीदार है एवं खसरा नम्बर 2540 मिन के भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा बनाये गये नये नम्बरान बनाकर जो नजरी नक्शा बनाया गया है उसे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अपने–अपने मौका व कब्जा के आधार पर दुरूस्त करा पाने के अधिकारी है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा आराजी खसरा नम्बर 2540 मिन के नये नम्बरान बनाते हुए नये नम्बरान को नजरी नक्शा में गलत दर्शाया गया जिसका नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थीगण जबरदस्ती नाजायज कब्जा करने के उद्देश्य से नये गलत नक्शा के आधार पर नाजायज कब्जा करने निर्माण कार्य करने पर उतारू है। जिसकी बाबत अप्रार्थीगण ने दिनांक 27/11/2020 को ऐलानिया धमकी दी है। यदि अप्रार्थीगण अपने धमकी भरे इरादे में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपरमित क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति जर्रे नकद या अन्य किसी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी। विधि वजह प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने के अधिकारी है कि वे हाल नये खसरा नम्बर 3350/0.43, 3350/4265/0.43, 3351/0.78 हैक्टर में किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य न करे एवं कब्जा नहीं करे। उक्त नम्बरान की बाबत की बाबत ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे हकूक प्रार्थीगण जायल हो। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर खसरा नम्बरान 3350/0.43, 3350/4265/0.43, 3351/0.78 हैक्टर भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा बनाये गये नक्शा को प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मौका व कब्जा के आधार पर दुरूस्त फरमाया जाकर नजरी नक्शा में संशोधन किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं उपस्थित एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 7 मय वकील न्यायालय में उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 ने जबाब इस आशय का पेश किया कि साविक (पुराने) केवल एक खसरा नम्बर 2540 मिन में होकर तीन खसरा नम्बर क्रमशः 2540 मिन/0.43, 2540/0.43, व 2540 मिन/1/0.85 थे। जिनके नये खसरा नम्बर क्रमशः 3350/0.43, हाजर खां, 3350/4265/0.43 नाजर खां व 3351/0.78 आमीन वगैराह बांके ग्राम कैथवाडा द्वितीय बना दिये गये है। हाजर खाँ व नाजर खाँ का रकबा पूर्व की भांति 0.43 हैक्टर, 0.43 हैक्टर बदस्तूर है। जबकि आमीन वगैराह का रकबा पूर्व में 0.85 हैक्टर था जिसमें से 0.07 हैक्टर सडक में जाने के कारण 0.78 हैक्टर रकबा शेष है। सडक में गये रकवे का

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

विवरण जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 ग्राम कैथवाडा द्वितीय खाता संख्या 564 खसरा नम्बर 4312/3388/3.72 गैर मुमकिन सडक में दर्ज है। जिससे यह स्पष्ट है कि सडक खसरा नम्बर साविक 2540 मिन/1/0.85 हाल खसरा नम्बर 3351/0.78 में से होकर गुजरी है। जो बन्दोबस्त विभाग द्वारा तैयार किये गये नक्शे में सही व स्पष्ट है। नये नक्शे को बन्दोबस्त विभाग द्वारा तैयार करते समय किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट नहीं है कि विवादित रकबा किस गाँव में स्थित है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से पेश किया है। पूरा प्रार्थना पत्र अस्पष्ट व गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है। जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थी संख्या 1 ने जबाब एवं मौका पर्चा इस आशय का पेश किया कि ग्राम कैथवाडा द्वितीय के साविक खसरा नम्बर 2540 मिन/0.43, 2540/0.43, तथा खसरा नम्बर 2540मिन/1 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 3350/0.43, 3350/4265/0.43, 3351/0.78 भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा बनाये गये है। रिकॉर्ड के अनुसार खसरा नम्बर 3351/0.78 पर आमीन वगैराह पिसरान बुद्धि व खसरा नम्बर 3350/0.43 पर हाजर खाँ पुत्र हसना व खसरा नम्बर 3350/4265/0.43 पर नाजर खाँ पुत्र हसना खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है मौके के अनुसार कैथवाडा डीग रोड से लगा हुआ उत्तर दिशा में खसरा नम्बर 3351/0.78 जिस पर वतरफ पूर्व में हाजर खाँ व वतरफ पश्चिम में नाजर खाँ का कब्जा है। खसरा नम्बर 3350/0.43 व 3350/4265/0.43 दोनो नम्बरों के नम्बरों को सामिल कर आमीन वगैराह पिसरान बुद्धि का कब्जा है। कैथवाडा डीग रोड में हाजर खां, नाजर खां का बिस्वा रकबा सडक में चला गया जिसकी पुष्टि नकल भूमि आवप्ति अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त सवाईमाधोपुर द्वारा होती है। अतः रिकॉर्ड व नक्शा में शुद्धि किया जाना उचित है।

हमने बहस उभय पक्षकारान का मनन किया, पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब तहसीलदार एवं मौका रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया।

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र साविक खसरा नम्बर 2540 मिन/0.43, 2540/0.43, तथा खसरा नम्बर 2540मिन/1 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा से निर्मित नवीन खसरा संख्या 3350/0.43, 3350/4265/0.43, 3351/0.78 में संशोधन हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण का कथन है कि बंदोवस्त विभाग ने अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 7 के नये खसरा नम्बर 3351/0.78 को नक्शे में

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

सडक के पास दर्ज कर दिया गया है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा पुराने नम्बर 2540 मिन के नये नम्बरान बनाते हुए जो नजरी नक्शा जो नये खसरा नम्बरान का बनाया गया है। वह नक्शा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 7 के मौका व कब्जा के विपरीत बनाया गया है। प्रार्थीगण के पूर्व साविक खसरा संख्या 2540 मिन से सडक हेतु भूमि अधिग्रहित की गई थी। इसलिए प्रार्थीगण के कब्जे में 0.78 हैक्टर भूमि कब्जे में है।

अप्रार्थीगण का यह कथन है कि आराजी खसरा संख्या 3351/0.78 पर उनका कब्जा है । भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा मौके अनुसार सही खसरा संख्या कायम किये है।

साविक खसरा संख्या 2540 बंदोबस्त कार्यवाही से पूर्व एक ही खसरा था। जिसमें नक्शे में कोई तरमीम उपलब्ध नहीं थी। साविक खसरा नम्बर 2540 मिन/0.43, 2540/0.43 के प्रार्थीगण एवं 2540 मिन/1/0.85 के अप्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार थे । साविक खसरा संख्या 2540 में से ही 0.07 हैक्टर भूमि सडक हेतु अधिग्रहित की गई थी। तहसीलदार पहाडी ने अपने जबाब में यह स्वीकार किया है कि रिकॉर्ड के अनुसार खसरा नम्बर 3351/0.78 पर आमीन वगैराह पिसरान बुद्धि व खसरा नम्बर 3350/0.43 पर हाजर खाँ पुत्र हसना व खसरा नम्बर 3350/4265/0.43 पर नाजर खाँ पुत्र हसना खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है मौके के अनुसार कैथवाडा डीग रोड से लगा हुआ उत्तर दिशा में खसरा नम्बर 3351/0.78 जिस पर वतरफ पूर्व में हाजर खाँ व वतरफ पश्चिम में नाजर खाँ का कब्जा है। खसरा नम्बर 3350/0.43 व 3350/4265/0.43 दोनो नम्बरों के नम्बरों को शामिल कर आमीन वगैराह पिसरान बुद्धि का कब्जा है। कैथवाडा डीग रोड में हाजर खां , नाजर खां का 8 बिस्वा रकबा सडक में चला गया जिसकी पुष्टि नकल भूमि आवप्ति अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त सवाईमाधोपुर द्वारा होती है। तहसीलदार पहाडी ने जबाब में शुद्ध किया जाना उचित बताया है।

मुताबिक तहसीलदार मौका रिपोर्ट एवं नक्शा सड़क के सहारे खसरा नम्बर 3351/0.78 पर वतरफ पूर्व में हाजर खाँ व वतरफ पश्चिम में नाजर खाँ का कब्जा है। खसरा नम्बर 3350/0.43 व 3350/4265/0.43 दोनो नम्बरों के नम्बरों को शामिल कर आमीन वगैराह पिसरान बुद्धि का कब्जा है। जबकि रिकॉर्ड में स्थिति विपरीत है। प्रार्थीगण द्वारा नकल भूमि आवप्ति अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त सवाईमाधोपुर भी उपलब्ध कराई है। जिसमें साविक खसरा संख्या 2540 मिन में 0.07 है0 की आवप्ति प्रार्थीगण के पक्ष में

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

ही की गई है। अप्रार्थीगण का आवप्ति आदेश में कोई हवाला नहीं है। अप्रार्थीगण का कथन है कि उनका रकबा पूर्व में 0.85 हैक्टर था जिसमें से 0.07 हैक्टर सडक में जाने के कारण 0.78 हैक्टर रकबा शेष है। सडक में गये रकवे का विवरण जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 ग्राम कैथवाडा द्वितीय खाता संख्या 564 खसरा नम्बर 4312/3388/3.72 गैर मुमकिन सडक में दर्ज है। परन्तु यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आवप्ति आदेश में शामिल साविक खसरा संख्या 2546, 2541, 2538, 2547 के काश्तकार जो आवप्ति आदेश में शामिल है। उनका ही नाम वर्तमान में सड़क के खसरा नं0 4312/3388/3.72 गैर मुमकिन सडक में दर्ज है। जबकि साविक खसरा संख्या 2540 मिन के संबंध में विपरीत स्थिति है। साथ ही साथ अप्रार्थीगण को सड़क में गैर खातेदार के रूप में दर्शाया गया है। जबकि अप्रार्थीगण पूर्व में भी खातेदार दर्ज थे। तहसीलदार पहाड़ी ने भी अपनी रिपोर्ट में प्रार्थीगण का 0.78 है0 भूमि एवं अप्रार्थीगण का 0.86 है0 भूमि पर कब्जा बताया है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण का हिस्सा सड़क आवप्ति में गया था ना कि अप्रार्थीगण का हिस्सा। इससे बन्दोबस्त विभाग की लापरवाही स्पष्ट नजर आती है।

उपरोक्त विवेचन से यह पूर्ण स्पष्ट है कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा सहवन से मौके के विपरीत राजस्व रिकॉर्ड में नवीन खसरा संख्या कायम करते समय इन्द्राज कर दिये है। जिसे सुधारा जाना उचित होगा।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किये जाने योग्य है । प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। मुताबिक तहसीलदार मौका रिपोर्ट वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड खसरा संख्या 3351/0.78 पर प्रार्थीगण वतरफ पूर्व में हाजर खां का 1/2 हिस्सा एवं वतरफ पश्चिम में नाजर खां का 1/2 हिस्सा तथा खसरा संख्या 3350/0.43, 3350/4265/0.43 पर अप्रार्थीगण का पूर्व हिस्सानुसार इन्द्राज किया जावें। शेष इन्द्राज यथावत रहेगे। तहसीलदार मौका रिपोर्ट दिनांक 16.03.2021 निर्णय के साथ जुज रहेगी।

निर्णय आज दिनांक 09/07/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर).

Scanned with OKEN Scanner